संख्या-19/2022/60-भा0स0/60-1-2022

प्रेषक,

अनामिका सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

महिला कल्याण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक 31 अगस्त, 2022**

विषय- किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम-2015 में विहित व्यवस्थानुसार किशोर न्याय बोर्ड की बैठक आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक् अवर सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-CW-II-30/37/2022, दिनांक 24.08.2022 (प्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम-2015 की आदर्श नियमावली-2016 के नियम-6(1) में विहित उपबन्ध का पूर्णतया अनुपालन किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- सूच्य है कि किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम-2015 की आदर्श नियमावली-2016 के नियम-6(1) में यह व्यवस्था है कि ''बोर्ड अपनी बैठकें किसी सम्प्रेक्षण गृह में अथवा सम्प्रेक्षण गृह के निकट स्थित स्थान पर अथवा विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के लिए अधिनियम के अधीन चलायी जा रही किसी संस्था के उपयुक्त परिसर में आयोजित करेगा और किसी भी परिस्थिति में बोर्ड किसी न्यायालय या कारागर परिसर में अपनी बैठकें आयोजित नहीं करेगा।''

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम-2015 की आदर्श नियमावली-2016 के नियम-6(1) में विहित उक्त प्राविधानों/व्यवस्था का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीया,

(अनामिका सिंह)
सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-19/2022/60-भा0स0(1)/60-1-22, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

2- समस्त जिला प्रोबेशन अधिकारी, उ0प्र0।

3- समस्त उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, उ0प्र0 ।

4- समस्त किशोर न्याय बोर्ड, उ0प्र0 द्वारा जिला प्रोबेशन अधिकारी।

5- गार्ड फाइल।

(दिनेश चन्द्र पाण्डेय)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।